तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2004/4056/जोधपुर* *सीताराम वगेरह बनाम श्यामसिंह व अन्य*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/09/25	**एकल–पीठ** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** **–––––** **उपस्थिति :–** प्रार्थी अधिवक्ता श्री यज्ञदत्त शर्मा के ब्रीफ होल्डर श्री अभिषेक शर्मा। अप्रार्थी संख्या–1 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। ––––– ***आदेश*** 1– यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर द्वारा प्रकरण सं0 41/2004 बउनवानी श्यामसिंह बनाम सीताराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13–8–2004 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके माध्यम से प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा–151 सीपीसी को खारिज किया गया। 2– निगरानी याचिका के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 श्यामसिंह ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर के समक्ष निगरानी याचिका में वर्णित विवादित भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रार्थी प्रतिवादी पेश किया गया। विचारण के दौरान प्रतिवादीगण ने आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा–151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर मूल वादपत्र को खारिज करने की प्रार्थना की गई, जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आक्षेपित जरिये आदेश दिनांक 13–08–2004 से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 13–08–2004 से व्यथित होकर मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है, क्योंकि देवस्थान विभाग में संबंधित वादग्रस्त सम्पति के संबंध में न्यास को पंजीकृत करवाया जा चुका है। पंजीयन की कार्यवाही में प्रार्थी श्यामसिंह बहैसियत उज्रदार उपस्थित हुआ था परंतु उसकी उज्रदारी को समाप्त करते हुए वादग्रस्त डोली की कृषि भूमि श्री रघुनाथ मंदिर व पुजारी के नाम दर्ज करते हुए न्यास का पंजीयन किया गया था जिसकी अपील आयुक्त, देवस्थान विभाग के समक्ष विचाराधीन है। उनका यह भी कथन है कि धारा 73 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत न्यास की संपति के बारे में किसी प्रकार का विनिश्चय करने का अधिकार सहायक आयुक्त दवस्थान को होता है तथा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वाद में सुनवाई का अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से दो माह पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है श्यामसिंह को व्यक्तिगत तौर पर वाद पेश करने का अधिकार नहीं था। अतः वादी का वाद खारिज योग्य था क्योंकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2004/4056/जोधपुर* *सीताराम वगेरह बनाम श्यामसिंह व अन्य*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि मंदिर की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश ''स्पीकिंग आदेश'' की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्कि का उपयोग किये बिना जो निर्णय व डिक्री पारित किया है, वह निरस्त योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने पृथक से लिखित बहस पेश कर उक्त कथनों को दोहराते हुए अंत में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13–08–2004 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– प्रार्थी/निगरानीकर्ता की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी/वादी श्यामसिंह ने डोली मंदिर श्री रूघनाथ जी महाराज की मिल्कीयत ग्राम खेड़ापा तहसील भोपालगढ़ स्थित भूमि खसरा संख्या 135, 136, 276, 326, 63 व 273 कुल किता 6 कुल रकबा 109.17 बीघा भूमि बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का मूल वाद पेश किया। दौराने विचारण प्रार्थी प्रतिवादी लक्ष्मणदास ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा–151 सीपीसी पेश कर प्रस्तुत वाद राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा–73 के तहत् राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने तथा राजस्थान सरकार को धारा–80 सीपीसी का दो माह का विधिक नोटिस नहीं दिये जाने के आधार पर वादी का वाद खारिज करने की प्रार्थना की गई। वादी अप्रार्थी ने इसका जवाब पेश कर जाहिर किया कि विवादित भूमि कृषि भूमि है तथा हस्तगत वाद स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित होने से इसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। तत्पश्चात् योग्य विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनकर आदेश दिनांक 13–08–2024 से प्रस्तुत वाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त होना मानते हुए प्रतिवादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–7 नियम–11 सपठित धारा–151 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया।

5– पत्रावली में यह निर्विवाद स्थिति है कि विवादित भूमि डोली बनाम मंदिर श्री रूघनाथ जी महाराज के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर कृषि भूमि है, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा कर इसे खुर्द बुर्द करने व इस पर अतिक्रमण कर उक्त सार्वजनिक भूमि का दुरूपयोग नहीं किये जाने बाब त् वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी व्यादेश का वाद अंतर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त मूल वाद विवादित कृषि भूमि के संबंध में धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् है तथा वादपत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–207 की तृतीय अनुसूची के अनुसार जहां ऐसे वाद में राजस्व न्यायालय अनुतोष प्रदत्त करने हेतु सक्षम है, वहां ऐसे वादों का राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण व अवधारण किया जा सकता है। योग्य विचारण न्यायालय ने भी आक्षेपित आदेश दिनांक 13–08–2004 के माध्यम से हस्तगत वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि धारा–73 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मंदिर व देवस्थान के बने भवनों व उसी तक सीमित दायरे में ही लागू होते है, जबकि विवादित भूमि मंदिर के नाम बतौर कृषि भूमि दर्ज है। हमारे विनम्र मत में आदेश–7 नियम–11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *निगरानी/टी.ए./2004/4056/जोधपुर* *सीताराम वगेरह बनाम श्यामसिंह व अन्य*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निस्तारण करते समय वादपत्र में वर्णित अभिवचनों व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को देखा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। चूंकि प्रार्थी द्वारा उठाई गई उक्त आपत्तियां तथ्य व विधि के मिश्रित प्रश्न है तथा प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त आपत्तियों को अपने जवाब दावे में उठाने हेतु स्वतंत्र है, जिनका निस्तारण साक्ष्योपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा। इस स्तर पर प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियां आदेश–7 नियम–11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के तहत् लागू नहीं होती है। अतएव प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

6– परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अंतर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य